उत्तर प्रदेश में जल कानूनों पर एक संक्षिप्त मार्गदर्शिका

ENVIRONMENTAL LAW RESEARCH SOCIETY

उत्तर प्रदेश में जल कानूनों पर एक संक्षिप्त मार्गदर्शिका

ENVIRONMENTAL LAW RESEARCH SOCIETY

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
3.0 Unported License के अंतर्गत प्रकाशित

इन्वाइरन्मेन्टल लॉ रिसर्च सोसायटी, 2012

इन्वाइरन्मेन्टल लॉ रिसर्च सोसायटी (ईएलआरएस) कानूनी और संस्थागत व्यवस्थाओं की स्थापना की दिशा में योगदान और पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षन के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहती है। ईएलआरएस हितधारकों के बीच पर्यावरण कानूनों और नीतियों के प्रति जागरुकता बढ़ाना चाहती है।

ODD द्वारा डिज़ाइन किया गया

प्रकाशकः
इन्वाइरन्मेन्टल लॉ रिसर्च सोसायटी (ईएलआरएस),
सी–48, तृतीय तल, ओल्ड डबल स्टोरी,
लाजपत नगर – IV, नयी दिल्ली – 110 024
011-42828324
info@elrs.in
www.elrs.in

विषय-सूची

1. जल संबंधी मुद्दों पर हमें सोचने और कुछ कार्य करने की जरुरत क्यों है? 5

2. जल संबंधी चिंताओं के समाधान में कानून की क्या भूमिका है? 5

3. पेयजल : किसका अधिकार और किसका उत्तरदायित्व? 6
   क. हमें कानून के अंतर्गत पानी का मौलिक अधिकार प्राप्त है, इसका मतलब क्या है? 7
   ख. पानी के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा कौन से कदम उठाये गये हैं? 7
   ग. बहस के मुद्दे 8

4. सिंचाईः क्या सभी किसानों के पास पानी का अधिकार है? 8
   क. सिंचाई सुविधाओं पर नियंत्रणः सरकार से किसानों तक 10

5. स्वच्छता – किसका अधिकार और किसकी जिम्मेदारी? 11
   क. स्वच्छता का अधिकार 11
   ख. सरकार के कर्त्तव्य 11
   ग. कौन से कानून और नीतियां सरकार की जिम्मेदारी तय करते हैं? 12
   घ. बहस के मुद्दे 13

6. जल नियमन, प्रबंधन और संरक्षण के संदर्भ में विभिन्न संस्थाओं के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व क्या हैं? 14

7. सूचना के अधिकार का प्रयोग कैसे उपयोगी है? 16
   क. सूचना के अधिकार का कानून क्या है? 16
   ख. जल के अधिकार और स्वच्छता के संदर्भ में किस तरह की सूचनायें प्राप्त की जा सकती हैं? 16

आभार

यह प्रवेशिका अरघ्यम द्वारा वित्तपोषित परियोजना जल कानून सुधार : प्रसार एवं क्षमता निर्माण (2003–2012) का एक भाग है। अरघ्यम बंगलौर स्थित एक भारतीय सार्वजनिक धर्मार्थ संस्थान है जो रोहिणी निलेकणी द्वारा स्थापित है और यह 2005 से जल एवं स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर ध्यान दे रहा है। पर्यावरण विधि एवं शोध संस्थान अरघ्यम द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता एवं प्रोत्साहन हेतु इसे कोटि आभार व्यक्त करता है।

पर्यावरण विधि शोध संस्थान उन सभी लोगों को भी धन्यवाद प्रेषित करता है जिन्होंने इस प्रवेशिका के निर्माण में अपना समय और श्रम दिया है। बिना आपकी सहायता के यह प्रवेशिका संभव नहीं थी।

1

जल संबंधी मुद्दों पर हमें सोचने और कुछ कार्य करने की जरूरत क्यों है?

पानी और जीवन के अंर्तसंबंधों को समझने के लिए कुछ अलग से कहने की जरुरत नहीं है। स्वच्छ पानी की पर्याप्त उपलब्धता लोगों के जीवन का स्तर निर्धारित करती है। विकास संबंधी गतिविधियों में भी पानी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उद्योग और कृषि समेत लगभग सभी आर्थिक गतिविधियों में पानी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके बावजूद लोग और सरकार पानी संबंधित मुद्दों के बारे में तभी सोचते हैं, जब वे पानी की कमी या इसकी गंदगी के चलते प्रभावित होने लगते हैं, जैसे कि सूखे या महामारी के समय या कि जब अलग–अलग तरह के उपयोगों या उपयोगकर्ताओं के बीच तनाव पैदा होने लगता है।

उत्तर प्रदेश (उ.प्र.) भी जल संबंधी चिंताओं से प्रभावित है। उ.प्र. के कुछ हिस्से पानी की कमी से जूझते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, चित्रकूट पानी की नितांत कमी के लिए जाना जाता है। महिलाओं और बच्चों को पानी लेने के लिए दूर तक जाना पड़ता है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से (उदाहरणः बलिया) पानी की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं, मुख्यतः भूमिगत जल के रासायनिक प्रदूषण से प्रभावित हैं। प्रदेश की कुछ नदियाँ (उदा.: गोरखपुर में अमी नदी) उद्योगों द्वारा असंशेधित कचरे के डाले जाने के कारण मल जल निकासी की नालियों के रूप में बदल चुकी हैं।

छोटे और गरीब किसानों द्वारा अपने पड़ोसी नलकूप और डीजल पम्प वाले धनी किसानों से पानी खरीदना उत्तर प्रदेश में एक आम बात है। पानी जन–आंदोलनों का भी केन्द्र बिन्दु रहा है। उदाहरण के तौर पर कोका कोला कम्पनी द्वारा बनारस के मेहंदीगंज में भूमिगत जल के अतिदोहन ने बड़े जन–प्रतिरोधों को जन्म दिया।

हालांकि, समय के साथ परिस्थितियाँ बदली हैं और पानी का मुद्दा अब जनता और राज्य सरकार दोनों के लिए कम महत्व का नहीं रहा है।

2

जल संबंधी चिंताओं के समाधान में कानून की क्या भूमिका है?

जल कानून लोगों की जल संबंधी समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। जहाँ एक तरफ जल कानूनों की उपस्थिति अपने आप ही सरकार को उत्तरदायी और सतर्क बनाती है, वहीं दूसरी तरफ यदि सरकार अपने कर्तव्य नहीं पूरा करती है या पूरा करने से मना करती है, तो लोग न्यायालय के पास जा कर सरकार को उसके कर्त्तव्यों की पूर्ति के लिए बाध्य कर सकते हैं।

पानी संबंधी समस्याओं, जैसे कि पानी की कमी और इसकी खराब गुणवत्ता, से सबसे ज्यादा गरीब और कमजोर लोग ही प्रभावित होते हैं।

अमीर लोग इन समस्याओं से लड़ सकते हैं, जैसे कि पानी की खराब गुणवत्ता को ठीक करने के लिए वे जल संशोधन यंत्रों (पानी 'फिल्टर') में पैसा लगा सकते है। लेकिन गरीब लोगों के पास उपलब्ध गन्दा पानी पीने के अलावा और कोई चारा नहीं होता है। यह गन्दा पानी उनमें स्वास्थ्य संबंधी समस्यायें भी पैदा करता है। अतः जल–कानून समाज के गरीब और कमजोर लोगों के लिए बहुत ही जरुरी हैं।

मुद्दे	कानून	उपाय
पेयजल की अनुपलब्धता	संविधान के अंतर्गत पानी का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है।	लोग, अकेले या सामूहिक तौर पर, उच्च या उच्चतम न्यायालय के पास जाकर अपने पानी के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सरकार को अपने उत्तरदायित्व पूरे करने के लिए बाध्य कर सकते हैं।
जल–प्रदूषण	प्रदूषण नियंत्रण कानूनः जल (प्रदूषण निवारण एवम् रोकथाम) अधिनियम, 1974 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदूषण की रोकथाम हेतु उचित कदम उठाने का अधिकार है। यदि यह बोर्ड अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति में असफल रहता है तो लोग उच्च न्यायालय के पास जा कर इसे अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति हेतु बाध्य कर सकते हैं।
पेयजल का प्रदूशण	ऐसा कोई कानून नहीं है जो जल – आपूर्तिकर्त्ताओं या क्षेत्रीय निकायों द्वारा प्रदान किये जाने वाले पानी के संदर्भ में किसी प्रकार की गुणवत्ता का मानक तय करता हो।	यदि ऐसा कोई कानून बनता है जो जल आपूर्तिकर्ताओं या क्षेत्रीय निकायों कानून द्वारा प्रदान किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता के मानक तय करता हो तो लोग न्यायालय के पास जाकर उस मानक का पालन सुनिश्चित करा सकते हैं।

उदाहरणः जल संबंधी मुद्दों के निराकरण हेतु कानून का प्रयोग

कानून द्वारा साफ और पर्याप्त पेयजल पानाः केरल का एक अनुभव

तीन दशकों से केरल के पश्चिमी कोचि के लोग स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की मांग करते आ रहे थे। सरकार द्वारा उनकी बातों पर ध्यान ना देने के बाद उन्होंने केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने उनके पानी के मौलिक अधिकार को स्वीकार किया और सरकार को आदेश, दिया कि वह छः महीनों के अन्दर उक्त इलाके में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु जरुरी कदम उठाये।

स्रोतः विषाल कोचि कुडिवेला समारक्षिणा समितिः बनाम केरल राज्य 2006 (1) KLT 191, www.ielrc.org/content/e0642.pdf

3

पेयजलः किसका अधिकार और किसका उत्तरदायित्व?

मीठे पानी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग पेयजल के रुप में होता है। यह बाकी सारे प्रयोगों जैसे कि सिंचाई और औद्योगिक जल आदि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट रुप से कहा है कि संविधान के अन्दर प्रत्येक व्यक्ति को पानी का मौलिक अधिकार प्राप्त है।

पानी का मौलिक अधिकार

पानी आदमी के अस्तित्व की एक मूलभूत आवश्यकता है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के अधिकार और अन्य मानवाधिकारों का अंग है।

स्रोतः नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत सरकार, AIR 2000 SC 3715, www.ielrc.org/content/e0008.pdf

क. हमें कानून के अंतर्गत पानी का मौलिक अधिकार प्राप्त है, इसका मतलब क्या है?

- खाना बनाने, शौचालय प्रयोग, पशुधन और जीवन को स्वच्छ और स्वस्थ रखने हेतु जल का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना।
- अच्छे गुणवत्तापरक पेयजल तक पहुँच।
- पानी के संदर्भ में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी भेदभाव का न होना।
- व्यक्तियों की पानी तक पहुँच उनके आर्थिक सामर्थ्य पर निर्भर नहीं करेगी।
- सरकार (जिसमें ग्राम पंचायत से लेकर केंद्रीय सरकार तक शामिल हैं) की यह जिम्मेदारी है कि वह भेदभाव रहित होकर सबके लिए स्वच्छ और पर्याप्त जल की उपलब्धता हेतु सभी आवश्यक कदम उठाये।
- सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि पानी के मौलिक अधिकार का हनन न हो और ना ही वह किसी प्रकार से प्रभावित हो।

ख. पानी के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा कौन से कदम उठाये गये हैं?

जलापूर्ति के संदर्भ में महत्वपूर्ण सरकारी योजनायें

ग्रामीण	शहरी
केन्द्रीय सरकार	
स्वजल धारा	त्वरित शहरी जलापूर्ति योजना (AUWSP)
त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ARWSP)	जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (JNNURM)
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शहरी सुविधायें (PURA)	
जल निधि	
राज्य सरकार	
	सामान्य कार्यक्रम (मध्यम और बड़े शहरों के लिए)

जलापूर्ति के संदर्भ में राज्यस्तरीय कानून

कानून	जलापूर्ति का उत्तरदायित्व
उत्तर प्रदेश जलापूर्ति एवम् मलजल निकास अधिनियम, 1975	उ. प्र. जल निगम
उत्तर प्रदेश नगर निकाय अधिनियम, 1956	नगर निकाय
उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916	नगर पालिका
उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947	पंचायत

ग. बहस के मुद्दे

- सरकार का यह प्रस्ताव है कि प्रत्येक व्यक्ति को पेयजल के लिए भुगतान करना होगा। यह भी प्रस्तावित है कि जल संबंधी आधारभूत ढ़ाँचों के रख–रखाव और मरम्मत का खर्च भी प्रत्येक व्यक्ति को वहन करना होगा। लोगों के लिए पानी की उपलब्धता को उनके आर्थिक सामर्थ्य से जोड़ने के इस प्रस्ताव का विरोध पानी के मौलिक अधिकार के तर्क का उपयोग करते हुए करने की आवश्यकता है।
- निजी क्षेत्र को जलापूर्ति के नये विकल्य के रूप में बहुत जोर–शोर से बढ़ावा दिया जा रहा है। इस प्रस्ताव के द्वारा समाज के गरीब और कमजोर लोगों के लिए पानी की उपलब्धता पर पड़ने वाले प्रभावों का भी मूल्यांकन किए जाने की जरुरत है।
- सार्वजनिक 'स्टैंड पोस्ट/हैण्ड पम्प' उ.प्र. के ग्रामीण और शहरी इलाकों में पानी के स्रोत के रुप में बहुतायत प्रयोग किये जाते हैं। यह प्रस्तावित है कि 'हैण्ड पम्पों' को 2022 तक हटाकर 90% ग्रामीण घरों को जलापूर्ति 'पाईपों' से जोड़ दिया जाएगा। प्रत्येक घर तक 'पाईप' से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक स्वागतयोग्य कदम है। लेकिन लोगों को सार्वजनिक 'स्टैंड पोस्टों' और 'हैण्डपम्पों'' को छोड़कर पाईप से पानी लेने के लिए विवश करना, गरीबों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा।

अपने पानी के अधिकार के प्रति सजग रहिए।
जो जानकारियाँ आप के पानी के मौलिक अधिकार को प्रभावित कर सकती हैं, उनको सूचना के अधिकार के माध्यम से प्राप्त करने में तत्पर बनिए।
पानी के मौलिक अधिकार को बाधित करने वाले कार्यों का विरोध करने में सक्षम बनिए।

4

सिंचाईः क्या सभी किसानों के पास पानी का अधिकार है?

क्या सिंचाई के लिए पानी किसानों का अधिकार है? उत्तर नकारात्मक होगा। जल संसाधन सदैव से सरकार के नियंत्रण में रहे हैं। इस नियंत्रण को बनाए रखने के लिए ही अंग्रेजों के समय में बहुत सारे सिंचाई कानून बने थे। उत्तर प्रदेश में भी उत्तर भारत नहर और जल निकास अधिनियम, 1873 लागू होने के बाद से स्थितियां कुछ भिन्न नहीं हैं। यह कानून सरकार को जल संसाधनों का प्रयोग लोगों के हित में करने हेतु शक्ति प्रदान करता है। अतः उत्तर प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था (लगभग 7400 किमी. लंबी नहर प्रणाली और 29000 नलकूप) सिंचाई विभाग के नियंत्रण में हैं।

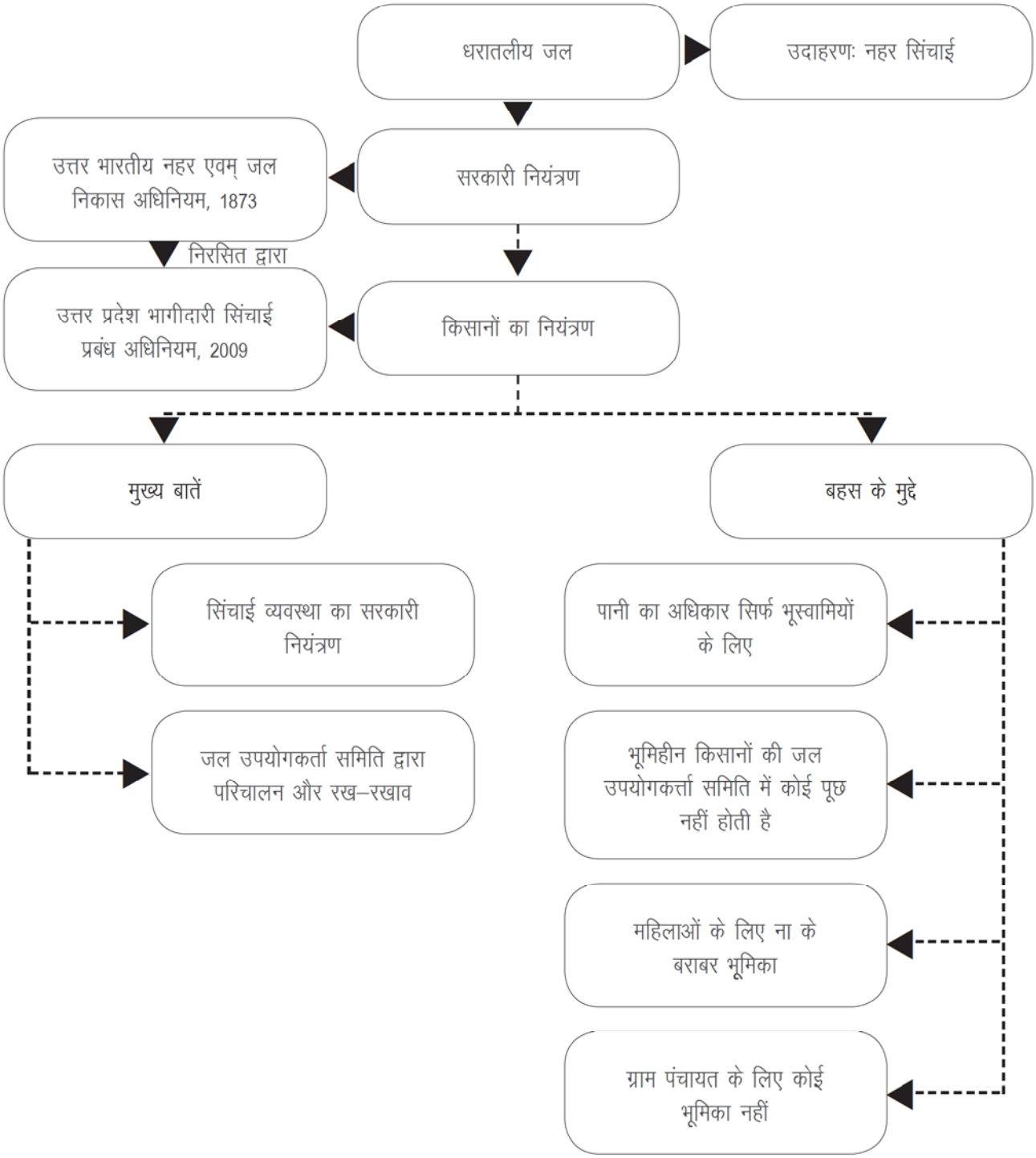
धरातलीय जल
उदाहरणः नहर सिंचाई
सरकारी नियंत्रण
उत्तर भारतीय नहर एवम् जल निकास अधिनियम, 1873
निरसित द्वारा
किसानों का नियंत्रण
उत्तर प्रदेश भागीदारी सिंचाई प्रबंध अधिनियम, 2009
मुख्य बातें
बहस के मुद्दे
सिंचाई व्यवस्था का सरकारी नियंत्रण
जल उपयोगकर्ता समिति द्वारा परिचालन और रख–रखाव
पानी का अधिकार सिर्फ भूस्वामियों के लिए
भूमिहीन किसानों की जल उपयोगकर्त्ता समिति में कोई पूछ नहीं होती है
महिलाओं के लिए ना के बराबर भूमिका
ग्राम पंचायत के लिए कोई भूमिका नहीं

क. सिंचाई सुविधाओं पर नियंत्रणः सरकार से किसानों तक

सिंचाई सुविधाओं का नियंत्रण धीरे–धीरे सरकार से किसानों की ओर जा रहा है। उत्तर प्रदेश सहभागिता सिंचाई प्रबंध अधिनियम, 2009 का मुख्य उद्देश्य सरकार की भूमिका को कम करके सिंचाई व्यवस्था के उपयोग और रख–रखाव की शक्ति और जिम्मेदारी किसानों को प्रदान करना है।

भूमिगत जल धीरे–धीरे सिंचाई का मुख्य स्रोत बनता जा रहा है। लेकिन भूमिगत जल अभी भी जमीन के मालिकों के नियंत्रण में है क्योंकि भूस्वामियों द्वारा भूजल के दोहन के संदर्भ में अभी कोई कानून नहीं बना है। ये धनी भूस्वामी 'ट्यूबवेल' की गहराई बढ़ा कर और उच्च क्षमता के 'पम्पों' को लगा कर अधिक से अधिक भूजल निकालने की आर्थिक क्षमता भी रखते हैं। गरीब और सीमान्त किसानों को प्रायः ऐसे धनी किसानों से भूमिगत जल खरीदना पड़ता है।

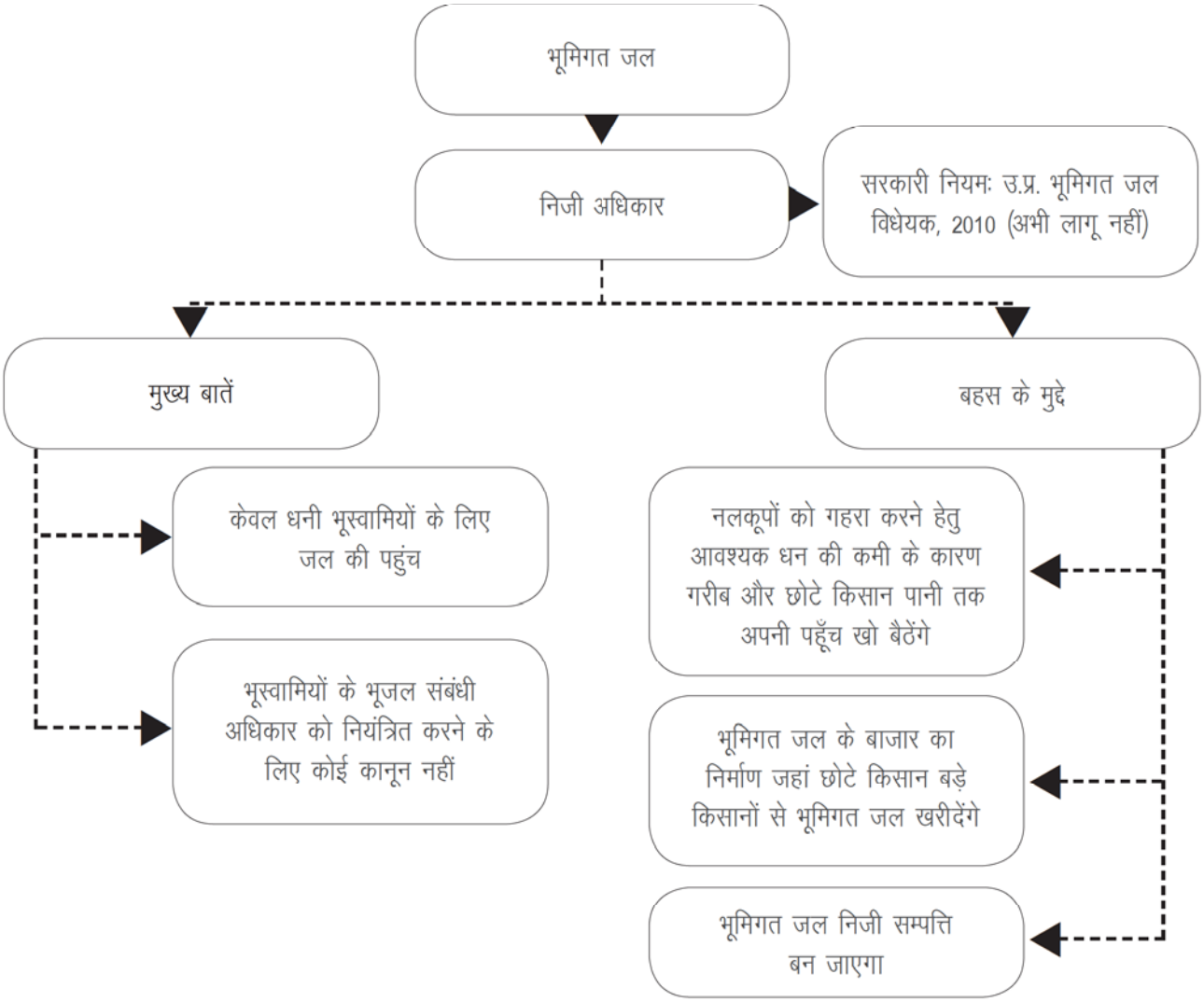

5

स्वच्छता - किसका अधिकार और किसकी जिम्मेदारी?

अनुपयुक्त और अपर्याप्त सफाई व्यवस्था उत्तर प्रदेश में एक बड़ी समस्या है। खुले में मलत्याग करना ग्रामीण उ.प्र. में एक आम बात है। खेतों में मलत्याग हेतु जाती हुई महिलाओं पर शारीरिक हमले होते रहते हैं। असंशोधित कचरे को फेंके जाने के कारण भूमि और जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। यह स्थिति स्वास्थ्य संबंधी ढ़ेर सारी समस्यायें पैदा कर रही है और समाज का गरीब तबका सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। भूमि और जल संसाधनों की गुणवत्ता में कमी आगे चलकर कृषि उत्पादन को भी प्रभावित करती है।

शौचालयों के अलावा सफाई व्यवस्था का अर्थ

सफाई व्यवस्था का मतलब सिर्फ सार्वजनिक जगहों, आफिसों और घरों या उनके नजदीक शौचालय सुविधाओं का होना भर नहीं है। इसके अंतर्गत अनेक विषय आते हैं जैसे किः

- मानवीय मल–मूत्र का उपचार एवम् निपटान
- घरेलू कचरे का संग्रह और उसका निपटान
- नहाने, हाथ धोने और घर की स्वच्छता आदि हेतु पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता।

स्रोतः भारत सरकार, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान निर्देश, जुलाई 2011

क. स्वच्छता का अधिकार

स्वच्छता का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है। उच्चतम न्यायालय ने अनेकों बार यह कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वच्छता का अधिकार है।

मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार का उपभोग बिना स्वच्छता के नहीं किया जा सकता है। स्वच्छ वातावरण स्वस्थ जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य पहलू है और एक मानवीय और स्वस्थ वातावरण के बगैर मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना असंभव है। इसलिए, अनुपयुक्त और अपर्याप्त स्वच्छता संविधान में वर्णित जीवन के अधिकार का उल्लंघन करती है।

स्रोतः वीरेन्द्र गौड़ बनाम हरियाणा राज्य, (1995) 2 SCC 577, www.ielrc.org/content/e9407.pdf

ख. सरकार के कर्त्तव्य

सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह स्वच्छता सुविधायें जैसे कि मलजल निकासी, शौचालय और प्रयुक्त जल उपचार संयंत्रों की व्यवस्था सुनिश्चित करे।

सभी लोगों को पर्याप्त स्वच्छता सुविधायें मुहैया कराना स्थानीय निकायों जैसे कि ग्राम पंचायत और नगर पालिका का विधिक कर्त्तव्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टतः कहा है कि स्थानीय निकाय अपने इस कर्त्तव्य से दूर नहीं जा सकते हैं।

लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त और अच्छी स्वच्छता सुविधाओं को प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। उत्तरदायी स्थानीय निकाय कोष निधि की कमी का जिक्र करके इस उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकते हैं।

स्रोतः म्यूनिसिपल काउंसिल, रतलाम बनाम विरधीचंद, (1980) 4 SCC 162

ग. कौन से कानून और नीतियां सरकार की जिम्मेदारी तय करते हैं?

कानून

भारत का संविधान, 1950	यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करे।
उ. प्र. जलापूर्ति एवम् मलजल निकास अधिनियम, 1975	जल निगम का यह कर्त्तव्य है कि वह सरकार और क्षेत्रीय समितियों के साथ काम कर मलजल निकास प्रणाली को उन्नत करे।
उ. प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1959	नगरपालिका का यह कर्त्तव्य होता है कि वह स्वच्छता सुविधायें मुहैया करवाये जैसे किः • मलजल का संग्रह और उसका निपटारा • नालियों की सफाई और उनका रख–रखाव
उ. प्र. पंचायती राज अधिनियम, 1947	ग्राम पंचायत का यह कर्त्तव्य है कि वह ग्रामीण स्वच्छता को उन्नत करे।

नीतियाँ

पहले सरकार सफाई सुविधायें प्रदान करने की कोशिश करती थी और इस संदर्भ में लोगों को आर्थिक सहायता भी देती थी। अब यह योजना 'मांग अनुकूल व्यवहार' नीति के द्वारा बदली जा चुकी है। सरकार अब अपना ध्यान लोगों को स्वच्छता के महत्व और उनके लाभों के बारे में शिक्षित करने पर केंद्रित करेगी। यह आशा की जाती है कि अंततोगत्वा यह प्रयास जनता को स्वयं इस संदर्भ में पहल करने के लिए प्रेरित करेगा। यह भी विश्वास किया जाता है कि नई नीति दीर्घावधि में अच्छे परिणाम देगी।

ग्रामीण स्वच्छता	षहरी स्वच्छता
संपूर्ण स्वच्छता अभियान हेतु दिशा निर्देश (2011 तक सुधार हुआ)	राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति, 2008
(i) मांग अनुकूल पद्वति • प्रयोगकर्ता जिन सेवाओं के लिए भुगतान करना चाहेगें वे सेवायें उन्हें मिलेंगी • भुगतान के सामर्थ्य को देखते हुए स्थान विशेष संबंधी तकनीक का चुनाव (ii) जागरुकता, आदतों में परिवर्तन और स्वच्छता सुविधाओं की मांग पैदा करने हेतु सूचना, शिक्षा और संचार, और सामर्थ्य विकास अभियान पर ध्यान देना (iii) समाज, पंचायती राज संस्थानों, सामुदायिक निकायों, महिला समूहों, स्वयं सहायता समूहों और समुदाय संबंधी संगठनों और एन. जी. ओ. की भूमिका में बढ़ोतरी (iv) स्वच्छता सुविधाओं को बनाने और उनका उपयोग करने और अच्छे स्वच्छता उपाय करने को बढ़ावा देना (जैसे कि निर्मल ग्राम पुरस्कार) न कि अनुदान (सब्सिडी) देना	(i) स्वच्छता की व्यापक परिभाषा (ii) नीतिगत लक्ष्य • जागरुकता पैदा करना और आदतों में बदलाव लाना • मलजल कचरा मुक्त शहरों की स्थापना • एकीकृत शहरी स्वच्छता (iii) राज्य संबंधी योजनाओं को चालू करने हेतु, राज्य स्तरीय शहरी स्वच्छता योजनायें, राज्य पुरस्कार योजनायें और आदर्श शहर स्वच्छता योजनायें (iv) सामुदायिक सहभागिता और सरकारी–निजी भागीदारी (v) स्वच्छता लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बढ़ावा देना (निर्मल शहर पुरस्कार)
	प्रारूपित राज्य स्वच्छता नीति, 2010
	(i) गरीब समुदायों और अब तक वंचित बस्तियों तक स्वच्छता की सुविधायें प्रदान करवाना (ii) सरकारी–निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना (iii) जागरुकता पैदा करने पर जोर देना (iv) स्वच्छता के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बढ़ावा देना –जैसे कि राष्ट्रीय पुरस्कार

घ. बहस के मुद्दे

- सरकार स्वच्छता सुविधायें प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं जा सकती।
- स्वच्छता का न होना या अनुपयुक्त स्वच्छता का होना जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है।

स्वच्छता आपका अधिकार है...
आपको यह जानने का अधिकार है कि सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं...
आपको यह जानने का अधिकार है कि सरकार कौन से कदम उठाने जा रही है...

6

जल नियमन, प्रबंधन और संरक्षण के संदर्भ में विभिन्न संस्थाओं के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व क्या हैं?

अनेकानेक उपयोगों हेतु जल प्रदान करने के लिए प्रत्येक स्तर पर (स्थानीय निकायों से ले कर राज्य सरकार तक) विभिन्न 'एजेंसियां' सक्रिय हैं।

क्र.स.	संस्थान / विभाग / एजेंसी	स्तर	कर्तव्य / उत्तरदायित्व
1.	सिंचाई विभाग	राज्य	– सिंचाई और जल प्रबंधन – बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन – जल–निकास तंत्र का उन्नतीकरण और रख–रखाव – योजनागत स्थलों का निर्माण और मशीनों को लगाना – बाँध सुरक्षा और निगरानी
2.	जल उपयोगकर्ता समिति	गाँव	– कार्य क्षेत्रों में जल प्रयोगों का नियमन – जल शुल्क इकट्ठा करने में सहायता करना – जल बहाव की निगरानी करना – प्रत्येक मौसम के शुरुआत में लोगों के अधिकार, क्षेत्र, मिट्टी और फसल चक्र आदि को ध्यान में रखते हुए कार्य संबंधी योजना तैयार करना – वार्षिक निरीक्षण करना, जल बजट तैयार करना और समय–समय पर सामाजिक लेखा–जोखा करवाना – कार्य क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था हेतु नीतियां तैयार करना
3.	भूजल विभाग	राज्य	– भूजल के विकास के अवसरों का पता लगाना • कृत्रिम तरीके से भूजल की पूर्ति करना • जलीय–भूगर्भीय अध्ययन • वर्षा जल संग्रहण • छत पर गिरने वाले जल का संग्रहण • वर्षा जल की पूर्ति करना – भूमिगत जल का विस्तार और विकास • ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए और शहरी क्षेत्रों में पेयजल के रुप में उपयोग करने हेतु भूमिगत जल का रासायनिक परीक्षण • ट्यूबवेलों की खुदाई और नये ट्यूबवेलों का विकास – शहरों और गावों में भूमिगत जल को मापने के लिए 'पीज़ोमीटर' लगाना

4.	उत्तर प्रदेश जल निगम	राज्य	– राज्य सरकार के निर्देश पर जलापूर्ति और मलजल निकासी हेतु राज्य स्तर की योजनायें तैयार करना – जलापूर्ति और गन्दे जल के निपटारे हेतु योजनायें बनाना, क्रियान्वित करना और संबंधित खर्च उठाना – जल संस्थान और क्षेत्रीय निकायों में जलापूर्ति के शुल्क का पुनरीक्षण करना और संबंधित सलाह देना – जलापूर्ति और मलजल निकासी सेवाओं हेतु राज्य स्तरीय मानक तय करना – राज्य की प्रत्येक जलापूर्ति और मलजल निकासी सेवाओं के महत्वपूर्ण बिन्दुओं का पुनरीक्षण और समीक्षा करना – जल संस्थान और अन्य क्षेत्रीय निकाय, जिन्होंने जल निगम से करार किया है, उनके जलापूर्ति और मलजल निकासी व्यवस्था का वार्षिक पुनरीक्षण करना
5.	जल संस्थान	शहर	– जलापूर्ति और घरों एवम् सरकारी 'स्टैंड पोस्टों' को पेयजल वितरण के कार्यक्रम बनाना और उनका रख–रखाव करना – जलापूर्ति के नये 'कनेक्शन' देना – लोगों के बीच जल संरक्षण हेतु जागरुकता पैदा करना और वर्षा जल सरंक्षण हेतु आवश्यक निर्माण करना – जल शुल्क का बिल बनाना और उसे एकत्रित करना – व्यक्तिगत और सार्वजनिक उद्देश्यों हेतु जल का उचित प्रबंधन करना
6.	नगर निकाय	शहर	– निकाय के जल स्रोतों को सुसंगत ढंग से चलाना ताकि घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोगों हेतु पर्याप्त जलापूर्ति हो सके – सार्वजनिक शौचालयों, जल निकास नालियों आदि का निर्माण एवम् रख–रखाव – सार्वजनिक सड़को और अन्य जगहों की साफ–सफाई करना – मानवीय उपयोग के लिए प्रदूषित जल का प्रयोग बंद करना – कचरे को इकट्ठा कर उसका निपटान करना
7.	ग्रामीण जल एवम् स्वच्छता समिति	गाँव	– जलापूर्ति और स्वच्छता की देखभाल करना – जागरुक क्षेत्रीय जन भागीदारी के माध्यम से जलापूर्ति योजनायें लागू करना

7

सूचना के अधिकार का प्रयोग कैसे उपयोगी है?

क. सूचना के अधिकार का कानून क्या है?

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्रत्येक नागरिक को जन अधिकारियों के नियंत्रण में रखी सूचनायें प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हैं। किन्तु, यह अधिकार भी पूरी तरह से निरपेक्ष नहीं है और कुछ विशेष प्रकार की सूचनाओं को जारी करने की बाध्यता से मुक्त रखा गया है, जब तक कि प्रार्थी ने सूचना जनहित में न माँगी हो।

सूचना के कानून के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने का तरीका

- आवेदन–पत्र का प्रकारः हिन्दी, अंग्रेजी या क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में लिखा होना चाहिए
- दिये जाने वाले विवरणः प्रार्थी का नाम एवम् पत्राचार का पूरा पता
- न दिये जाने वाले विवरणः सूचना प्राप्त करने के कारण
- सम्बद्धित अधिकारीः नामित जन सूचना अधिकारी
- आवेदन–पत्र को जमा करानाः पोस्ट द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा या स्वंय द्वारा
- आवेदन शुल्कः वर्णित, नगद में दिया जाए या तो डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर जो कि संबंधित जन कार्यालय के लेखा अधिकारी के पक्ष में भुगतान करने योग्य हो
- सूचना की प्राप्ति हेतु प्रार्थी से फिर से शुल्क माँगा जा सकता है
- कुछ स्थितियों में शुल्क देने की जरुरत नहीं हैः प्रार्थी गरीबी रेखा के नीचे का हो या सूचना 30 दिनों के बाद प्रदान की गयी हो
- ज्यादा जानकारी के लिए, जन सूचना अधिकारी की वेबसाइट देखें या www.rti.gov.in पर लॉग इन करें

ख. जल के अधिकार और स्वच्छता के संदर्भ में किस तरह की सूचनायें प्राप्त की जा सकती हैं?

- विभिन्न जलापूर्ति और स्वच्छता योजनायें जो कि लागू हो चुकी हैं या प्रस्तावित है
- जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए प्राप्त धन और उसके खर्च के संबंध में जानकारी
- जलापूर्ति की मात्रा और गुणवत्ता के संबंध में जानकारी

जल संबंधी बातों/शिकायतों के लिए निम्न सरकारी संस्थाओं के पास जाया जा सकता हैः

– उत्तर प्रदेश जल निगम/जल संस्थान
– सिंचाई विभाग
– भूजल विभाग
– क्षेत्रीय निकाय (नगर निकाय, नगर निगम, पंचायत)